

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

क्रमांक

बनाम

पुस्तिका etc.

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा

काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 810 सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
21/2/15	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत ...88, 92A, 188.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/1/2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	1988/15
	<p>14/1/16 पत्रावली पेश हुई आल पीसरी अधिकारी महोदय, अन्य कार्य.../अवकाश पर है। बैठक... अवकाश पर है अतः पत्रावली... दिनांक 24/2/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> रिटर्न उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p>24.2.16 पत्रावली पेश हुई वकील वादी को हिदायत दी जाती है कि अति. नं 596 का सही पत्रावली कर PIF सफ्त पुनः पेश करें। पेश होने पर जारी ले। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/3/2016 को पेश हो।</p>	
28/3/16	<p><i>[Signature]</i> पत्रावली पेश हुई । आबिक आदेश कीपालन नहीं की गई - मास भित 7 दिन का आदेश अवकाश शेर दिया जाता है PIF सफ्त पेश होने पर जारी ले। पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/5/2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<i>[Signature]</i>

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
24/9/19	<p>पतावली आज पेश हुई वजुलाय उरु। वकील वदी को राजत दिवायत दी जाती है कि जात दिवायत में प्रति जां 5 व 6 को जरी नान पव पता मय PIF लम्न पेश करे पेश होने पर जारी हो PIF लम्न पेश नहीं करने पर अग्रे कार्यवाही अमल में ली जावेगी। वकील प्रति जां 1, 3, 4 तथा 7 तथा प्रति जां 2, 8 को जवाब दाख हेतु अतिमत्त अवसर दिया जाता है अगर जवाब पेश नहीं होता है तो जवाब अवसर को व-द मत लिया जावेगा। पतावली आभदा दिनांक 01/11/19 को पेश है।</p>	
11/11/19	<p>पतावली आज पेश हुई वजुलाय उरु। वकील वदी को आभदा में लीया अति अवसर दाख PIF लम्न प्रति जां 5 व 6 को पेश करने हेतु दिया जात है। साथ ही वकील प्रति को जवाब हेतु लीया अति अवसर दिया जाकर पतावली आभदा दिनांक 10/12/19 को पेश है।</p>	
10/12/19	<p>पतावली आज पेश हुई वकील वदी अक्रु। वकील वदी को प्रति जां 5 व 6 को PIF लम्न पेश करने बावत 24. 2. 16 के निर्देश किमा जात रहा है किन्तु अदिनांक तक PIF लम्न पेश नहीं किमा गए। वकील वदी को पूर्व में दिनांक 11/11/19 को PIF लम्न पेश करने बावत लीया अति अवसर भी किमा जा चुका है। किन्तु PIF लम्न पेश नहीं किमा गए। अतः हलवात उमर को वकील वदी को अक्रु में तथा PIF लम्न पेश नहीं करने के कारण अ-र-र-5 C.P.C के तहत खारीज किमा जाता है। पतावली निरि की जाकर नम्बर ले कम है। निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को अक्रु आभदा में सुनाया गया।</p>	

सहायक जज
महाराज नगर

